

**न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**  
**(पीठासीन अधिकारी-डी.एस.मण्डलोई)**

दिवालिया वाद क. 01/08  
संस्थित दिनांक-07.08.2006

श्रीमती माधुरी उम्र 50 वर्ष पति संतोष अग्रवाल,

निवासी वार्ड नं. 15 बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र. ....**आवेदिका**

**ब ना म**

नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,

स्टेशन रोड बालाघाट, जिला बालाघाट..... **अनावेदक**

आवेदिका द्वारा श्री एम.आई. बेग अधिवक्ता।

अनावेदक द्वारा श्री राकेश ऐडे अधिवक्ता।

**—:: आ दे श ::—**

**(आज दिनांक-27/11/2014 को पारित)**

**01—** इस आदेश के द्वारा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-7 प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम 1920 का निराकरण किया जा रहा है।

**02—** आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने परिवहन कार्य हेतु एक ट्रक क. एम.बी.आर. 1861 का बीमा अनावेदक कंपनी के पास कराया था। जिसका बीमा दिनांक 19.8.1992 से 18.8.1993 तक की अवधि का था। दिनांक 01.5.1993 को उक्त ट्रक को केनेथसिंह नामक ड्रायवर चला रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें देवराज लिल्हारे की मृत्यु हुई, जिसका मोटर दुर्घटना दावा क. 105/99 में दावा स्वीकार कर बीमा कंपनी सहित 62,400/- का अवार्ड दिनांक 07.10.1999 को पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में अपील पेश किए जाने पर पारित अवार्ड की राशि बीमा कंपनी द्वारा वसूल बीमा कंपनी द्वारा वसूल दी जाकर, वसूल दी गई राशि मालिक एवं ड्रायवर से वसूल पाने हेतु दिनांक-05.8.2005 को आदेश पारित किया गया। बीमा कंपनी द्वारा उक्त

राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राशि बढ़कर 1,50,000/- की राशि अवार्ड में संशोधन कर पारित की गई है। आवेदिका को व्यावसायिक अनुभव न होने से आवेदिका ने उक्त वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से 1995 में कबाड़ में चालन योग्य न होने से विक्रय कर देना पड़ा तथा वर्तमान में आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं है तथा आवेदिका अवार्ड की राशि का भुगतान करने में पूर्णतः असमर्थ है। उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। अतः आवेदिका को दिवालिया घोषित किए जाने का निवेदन किया है।

**03—** प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक-27.2.2009 अनुसार आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-7 प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम 1920 सव्यय निरस्त किये जाने पर आवेदिका द्वारा प्रकरण में अपील किए जाने पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय के विविध व्यवहार अपील क. 07/2009 में पारित आदेश दिनांक 26.9.2012 अनुसार प्रकरण को पुनः नंबर पर कायम कर पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर पुनः गुण दोषों के आधार पर विधिवत निराकरण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

**04—** अनावेदक द्वारा आवेदिका के अभिवचनों का खण्डन कर व्यक्त किया है कि आवेदिका के ट्रक से दुर्घटना होने से श्रीमती कमलाबाई द्वारा क्षतिपूर्ति राशि हेतु माननीय न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा क. 105/99 पेश करने पर पारित अवार्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में धारा-173 मोटरयान अधिनियम के अधीन अपील पेश किए जाने पर अपील क. 1068/01 व अनावेदक द्वारा पेश अपील क. 2529/99 में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा दिनांक 05.8.2005 में पारित आदेश अनुसार अनावेदक को निर्देशित किया कि बीमा कंपनी न्यायालय में अवार्ड राशि जमा करें एवं वाहन स्वामी से उपरोक्त राशि वसूल करें, जिससे बीमा कंपनी द्वारा उपरोक्त समस्त राशि जमा कर एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन कर वसूली कार्यवाही माननीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायालय में जारी किया जा चुका है। आवेदिका द्वारा जानबुझकर मात्र अनावेदक को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से यह आवेदन पेश किया गया है, जबकि आवेदिका व उसका परिवार पूर्णतः सक्षम है तथा संपूर्ण परिवार संयुक्त रूप से निवास करता है। आवेदिका एवं उसके परिवार का व्यवसाय भी है एवं वे पूर्णतः सक्षम है। अनावेदक द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश का पालन करते हुए वसूली कार्यवाही जारी कर चुका है एवं माननीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालाघाट द्वारा आवेदिका के विरुद्ध कुर्की आदेश जारी हो चुका है। अतः आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

**05—** प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू है कि :-

**01.** क्या आवेदिका दिवालिया है ?

—:: सकारण—निष्कर्ष ::—

**विचारणीय बिन्दू क्रमांक-01 :-**

**06—** आवेदिका साक्षी माधुरी (आ.सा. 1) का कहना है कि उसने अनावेदक बीमा कम्पनी से ट्रक क्रमांक एम.बी.आर. 1861 का बीमा परिवहन कार्य हेतु दिनांक 18.08.1992 से दिनांक 19/08/1993 तक की अवधि का कराया था। ट्रक को ड्रायवर केनेथसिंह चला रहा था, जिससे दिनांक 01.05.1993 को एक्सीडेंट हो गया था, ड्रायवर के पास लायसेंस था। स्कूल के एक शिक्षक को केनेथसिंह ने टक्कर मार दी थी। ट्रक के मुकदमे में उसके और बीमा कंपनी पर 62,400/- रुपए का अवार्ड पारित हुआ था, जिसकी राशि बीमा कंपनी द्वारा अदा की गई थी। उक्त निर्णय के विरुद्ध बीमा कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर जाकर अपील की थी। जिसमें मालिक और ड्रायवर को राशि वापस करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त राशि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1,50,000/- रुपए दी गई थी। ट्रक चूंकि क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे उन्होंने 8-10 साल पूर्व विक्रय कर दिया। वर्तमान में उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। उसके पास स्वयं की संपत्ति नहीं है। अनावेदक द्वारा उक्त राशि वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उसके पास संपत्ति ना होने से वह राशि पटाने में सक्षम नहीं है। उसे दिवालिया घोषित किया जावे।

**07—** आवेदिका के कथनों का समर्थन करते हुए आवेदिका साक्षी हंसकुमार अमूले (आ.सा. 2) का भी कहना है कि वह आवेदिका माधुरी को पहचानता है। माधुरी के पास कोई चल-अचल संपत्ति नहीं है। माधुरी के पास एक ट्रक था, उस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ट्रक को माधुरी ने कबाड़ में विक्रय कर दिया था। माधुरी के पास आय का कोई साधन नहीं है। साक्षी ने अपने

प्रतिपरीक्षण के पैरा में खण्डन कर व्यक्त किया है कि उसके सामने ट्रक की बिक्री नहीं हुई। उसे नहीं मालूम कि ट्रक की देखरेख माधुरी के पति करते थे।

**08—** अनावेदक साक्षी रामलाल परते(अना.सा. 1) का कहना है कि आवेदिका ने ट्रक क्र. एम.बी.आर. 1861 का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से किया था। आवेदिका के ट्रक के दुर्घटना होने से श्रीमती कमलाबाई द्वारा माननीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालाघाट के न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु पेश मोटर दुर्घटना दावा क्र. 105/99 में पारित अवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में श्रीमती कमलाबाई द्वारा धारा 173 मोटर यान अधिनियम के तहत अपील क्र. 1068/01 तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपील क्र. 2529/99 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 05.8.2005 को आदेश पारित कर निर्देशित किया कि बीमा कंपनी न्यायालय में अवार्ड राशि जमा करें एवं वाहन स्वामी से उपरोक्त राशि वसूल करें, जिस पर उक्त बीमा कंपनी द्वारा समस्त राशि जमा करते हुए वसूली कार्यवाही माननीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायालय में जारी किया। जिसमें न्यायालय द्वारा आवेदिका को कुर्की वारंट जारी किया गया। आवेदिका द्वारा जानबूझकर अनावेदक बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाने की गरज से धारा-7 प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया है, जबकि आवेदिका व उसका परिवार पूर्णतः सक्षम है तथा आवेदिका अपने पति व बच्चों के साथ संयुक्त रूप से निवास कर रही है तथा आवेदिका व उसके परिवार के मालिकी का स्वयं का मकान, कृषिभूमि व जमीन वर्तमान में है एवं उनका व्यवसाय भी है किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से बचने हेतु मिथ्या कथन करते हुए आवेदन पेश किया है। अतः आवेदिका का आवेदन निरस्त किया जावे।

**09—** आवेदिका द्वारा समर्थन में मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के आदेश दिनांक 07.10.1999 की प्रति एवं दैनिक समाचार जबलपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित दिनांक 01.9.2006 की सार्वजनिक उद्घोषणा प्रस्तुत की है।

**10—** आवेदिका साक्षी माधुरी (आ.सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया था इसलिए उसने 8-10 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया, वर्तमान में उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। उसके पास स्वयं की संपत्ति नहीं है। उसके पास संपत्ति ना होने से वह राशि पटाने में सक्षम नहीं है किन्तु प्रतिपरीक्षण के



पैरा-4 में स्वीकार किया है कि जब दुर्घटना हुई तब ट्रक क्रमांक एम.बी.आर. 1861 उसकी मालिकी व स्वामित्व का था। इसी ट्रक से उनके वाहन चालक ड्रायवर केनेथसिंह से दुर्घटना कारित हुई थी। पैरा-5 में स्वीकार किया है कि उसने ट्रक क्रमांक एम.बी.आर. 1861 को विक्रय करने के संबंध में कोई भी अनुबंधपत्र या लिखापढ़ी प्रस्तुत नहीं की है। यह भी स्वीकारा है कि परिवहन कार्यालय में इस ट्रक के स्वामित्व के संबंध में उसका नाम दर्ज है। यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह अपने पति के साथ रहती है एवं आवेदिका साक्षी हंसकुमार अमूले (आ.सा. 2) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद आवेदिका माधुरी ने ट्रक कबाड़ वाले को विक्रय कर दिया किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ट्रक उसके सामने विक्रय नहीं किया गया।

11— आवेदिका माधुरी (आ.सा. 1) एवं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी हंसकुमार अमूले (आ.सा. 2) के अभिवचनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हो जाने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं है और आवेदिका अवार्ड की राशि भुगतान करने में असमर्थ है। अनावेदक द्वारा ली गई आपत्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से बचने हेतु मिथ्या कथन करते हुए आवेदन पेश किया है उचित प्रतीत होता है।

12— उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका को व्यावसायिक अनुभव न होने से आवेदिका ने वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से 1995 में कबाड़ में चालन योग्य न होने से विक्रय कर देना पड़ा तथा वर्तमान में आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं है तथा आवेदिका अवार्ड की राशि का भुगतान करने में पूर्णतः असमर्थ है। यह प्रमाणित करने में आवेदिका असफल रही है। परिणामस्वरूप आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-7 प्रांतीय दिवालिया अधिनियम निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित

( डी.एस. मण्डलोई )  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर  
जिला बालाघाट

( डी.एस. मण्डलोई )  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर  
जिला बालाघाट